कर रहे है। अप्रार्थी के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2024/62

मिसलनम्बर– 20/2024

1.मोहम्मद इस्हाक पुत्र श्री अलानूर जी जाति मुसलमान निवासी उडिया बस्ती संजय नगर विज्ञान नगर कोटा

2.मुन्नी बानो पत्नि मोहम्मद इस्हाक निवासी उडिया बस्ती संजय नगर विज्ञान नगर कोटा

प्रार्थीगण।

बनाम

1.अशफाक हुसैन पुत्र मोहम्मद इस्हाक जाति मुसलमान निवासी केशर रोड महावीर वाली गली वाई0जी0एन0 स्कूल के पास शकील भाई का मकान अनन्तपुरा कोटा थाना अनन्तपुरा कोटा

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 23/10/24

उपस्थितिः–

1.श्री जाकिर हुसैन प्रार्थीगण अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् पत्रावली निर्णय प्रार्थना–पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीपक्ष द्वारा निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी न० 1 70 वर्षीय वृद्ध है तथा प्रार्थीया न० 2 एक 65 वर्षीय महिला है जो सिनियर सिटीजन जो कि स्वयं अपना भरण पोषण करने मे असमर्थ है। अप्रार्थी प्रार्थीगण का पुत्र है तथा अप्रार्थी प्रार्थीगण से 2 वर्ष से अलग निवास करता है। अप्रार्थी प्रार्थीगण का कोई भरण पोषण नहीं करता है ना ही कोई राशि अदा करता है तथा आये दिन प्रार्थीगण के मकान पर आकर लडाई झगडा करता है प्रार्थीगण के साथ मारपीट करता है। गाली गलोच करता है तथा जान से मारने की धमकी देता है और प्रार्थीगण के साथ कुरता पूर्ण अत्याचार करता है। किसी तरह का भरण पोषण नहीं करता है ना ही खर्चा देता है ना ही उनकी देखभाल करता है तथा बुरी बुरी गालियां बकता है तथा अप्रार्थी प्रार्थीगण का इलाज भी नहीं करवाता है। ना ही खर्चा देता है प्रार्थीगण की वृद्धावस्था की पेन्शन आती है उससे ही वह अपना जीवन यापन बडी मुश्किल से कर रहे है। अप्राथी जबरन मकान के घुसकर कब्जा करने की मकान जबरन अपने नाम करवाने व न करवाने पर जान से मारने की धमकीयां देता है। अप्रार्थी का यह दायित्व है कि वह प्रार्थीगण की देखभाल व दवा दारू करे लेकिन उसके द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। बल्कि वृद्धावस्था मे प्रार्थीगण को उसके स्वयं के मकान से बेदखल करने की धमकी दी जा रही है एवम उनके साथ लगातार मारपीट की जा रही है। मोहल्ले वाले बीच बचाव करने आते है तथा अप्रार्थी को समझाने का प्रयास करते है तो अप्रार्थी उनके साथ भी गाली गलोच मारपीट करने पर उतारू हो जाता है। प्रार्थीगण आप्रार्थी के कृत्य से काफी भयभीत है। तथा अपने को असुरक्षित महसूस

उपखण्ड अधिकारी कोटा

कर रहे है। अप्रार्थी के पास काफी आय का साधन है अप्रार्थी एक लेडीज टेलर का अच्छा कारीगर है जो 25–30 हजार रूपये माहवार कमाता है तथा आय के अन्य साधन है प्रार्थीगण के पास कोई आय का साधन नही है। प्रार्थीगण बडी मुश्किल से अपने स्वयं के मकान मे रह रहे है तथा अपना गुजर बसर कर रहे है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निवेदन है कि अप्रार्थी को तलब किया जाकर अप्रार्थी को प्रार्थीगण के साथ किसी प्रकार की मारपीट गाली गलोच नहीं करने हेतु पाबन्द किया जावे तथा प्रार्थीगण को अप्रार्थी से भरण पोषण हेतु 10000/– दस हजार रूपये प्रति माह दिलवाया जावे तथा उक्त राशि अदा नहीं करने की सूरत मे उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही का आदेश प्रदान किया जावे तथा दौराने कार्यवाही भी अंतरिम भरण पोषण राशि दिलवाई जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थी बावजूद सूचना के उपस्थित नही हुये अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थीगण की ओर से दौराने बहस अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन एवं बहस में दर्शित तथ्यों पर मनन किया गया जिसके अनुसार प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करने एवं प्रार्थीगण को मकान से बेदखल करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थीगण के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थीगण अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी को वर्णित मकान उडिया बस्ती संजय नगर विज्ञान नगर कोटा से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। किन्तु न्यायहित में अप्रार्थी को पाबंद किया जाता है वे प्रार्थीगण के साथ भविष्य में अभद्र व्यवहार एवं मारपीट ना करे एवं उपरोक्त वर्णित मकान उडिया बस्ती संजय नगर विज्ञान नगर कोटा में प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। प्रार्थीगण वर्तमान में वृद्धावस्था के कारण किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, आय का पर्याप्त स्रोत नही होने से प्रार्थीगण अपनी सार–सभांल एवं भरण पोषण करने में असमर्थ है। अतः अप्रार्थी को निर्देश दिया जाता है कि अपने माता पिता को 4000/– मासिक भरण–पोषण हेतु राशि जर्ये बैंक खाता दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि भरण–पोषण राशि के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का वाद–विवाद उत्पन्न न हों।

उक्त निर्णय आज दिंनाक:.....23/10/24.....को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा